

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1973/अग्रहायण 20, 1895

No. 430] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December 1973

S.O. 778(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Sri Kamapati, Sansad Bhawan, New Delhi has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Sri Ved Rattan Mohan.

(Sd.) D. N. MITHAL,

Vidhan Bhawan, Lucknow,
Dated 8th December, 1973.

Returning Officer for the Election to the Council of States by the Elected Members of Legislative Assembly of Uttar Pradesh."

[No. F.13(2)/73-Leg.II.]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1973

का० प्रा० 778 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप नियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री वेद रत्न मोहन की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए श्री कमलापति, संसद् भवन, नई दिल्ली सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

विधान भवन, लखनऊ,

तारीख 8 दिसम्बर, 1973।

ह० डी० एन० मिस्तल,

रिटनिंग आफिसर,

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए।”

[स० एफ० 13 (2) /73—विधा०—II]

ए० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।